



Neutral Citation No. - 2026: AHC:4370 DB

आदेश आर क्षत दिनांक :-17.11.2025

आदेश प्रदत्त दिनांक :-08.01.2026.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपरा धक अपील सं. - 59 वर्ष 1989

हनीफ एवं अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अ धवक्ता : नि खल कुमार, वजय शंकर यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अ धवक्ता : डी.जी.ए.

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

1. जी वत अपीलकर्ता के वद्वान अ धवक्ता श्री नि खल कुमार और राज्य का प्रतिनि धत्व कर

रहे वद्वान अपर शासकीय अ धवक्ता को सुना गया तथा अ भलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आपराधक अपील सहारनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण सं. 344 सन् 1988 में दिनांक 06.01.1989 को पारित निर्णय और आदेश के वरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. मर्जापुर थाने में धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दर्ज मुकदमे के आरोपी हनीफ, आशक और श्रीमती हसीना का मामला सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और वचारण की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 18.3.1986 को लगभग 1:30 बजे, गुलाब के पुत्र आशक (आरोपी) ने थाना मर्जापुर में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 17.03.1986 को वह अपने भाई हनीफ (आरोपी) के साथ अदालत में पेश होने गया था और लगभग 9:00 बजे गांव लौटा, तो उसने घर की महिलाओं को रोते हुए पाया। हनीफ की पुत्री श्रीमती बुग्गल मृत पाई गई थीं। पूछताछ करने पर उनकी माता श्रीमती बूंदी ने उन्हें बताया कि लगभग 5:00 बजे, पासपुर गांव के अहुर के पुत्र इसरार ने, जिसके खेत उनके खेतों से सटे हुए हैं, गेहूं के खेत में श्रीमती बुग्गल के साथ बलात्कार किया और श्रीमती बुग्गल को रोते-चल्लाते छोड़कर भाग गया। श्रीमती बूंदी, मीर दाग और फैजू ने इसरार को भागते हुए देखा था। महिलाएं श्रीमती बुग्गल को घर ले आईं, जहां श्रीमती बुग्गल की मृत्यु रात लगभग 8:00 बजे हुई। आशक की ओर से भा.दं.सं. की धारा 376/304 के तहत थाने में तहरीर दर्ज कराई गई। मामले की ववेचना थाने के तत्कालीन एस.ओ. हरीश चंद सक्सेना ने अपने हाथ में ली। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और श्रीमती बुग्गल के शव का पंचायतनामा तैयार किया तथा आवश्यक कागजात तैयार करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने मृतक के घर से उल्टी से सनी मट्टी भी एकत्र की और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के आधार पर, आरोपी आशक और हनीफ को 30.05.1986 को गरफ्तार किया गया। 24.06.1986 को आरोपी श्रीमती हसीना ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के बाद एस.ओ. मर्जापुर ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखल किया।

5. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की:-



6. पीडब्लू- 1, महावीर सिंह; पीडब्लू- 2, नाजिम; पीडब्लू- 3, शाहिद; पीडब्लू- 4, श्रीमती हनीफ; पीडब्लू- 5, सनम; पीडब्लू- 6, धौला; पीडब्लू- 7, महबूब हसन; पीडब्लू- 8, फुल्ला; पीडब्लू- 9, राकेश कुमार; पीडब्लू- 10, अब्दुल रहीम; पीडब्लू- 11, मोहम्मद हसन; पीडब्लू- 12, डॉ. प्रदीप संघल; और पीडब्लू- 13, एस.ओ. हरीश चंद्र सक्सेना।

7. पीडब्लू- 1, महावीर सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया था और आशक की तहरीर के आधार पर चक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने चक रिपोर्ट और जीडी को प्रमाणित किया, जिन्हें क्रमशः प्रदर्शक-1 और क-2 के रूप में चर्चित किया गया है। थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को धारा 376/304 भा.दं.सं. से धारा 302 भा.दं.सं. में परिवर्तित कर दिया गया। इस संबंध में 19.03.1986 को रात 8:45 बजे जीडी रिपोर्ट सं. 25 पर प्रवृत्ति की गई। उन्होंने दिनांक 19.03.1986 की जीडी रिपोर्ट सं. 25 की प्रति दाखल की और उसे प्रमाणित किया, जिसे प्रदर्शक-3 के रूप में चर्चित किया गया था। 20.03.86 को उच्च अधिकारियों को एक विशेष रिपोर्ट भेजी गई थी और इस संबंध में जीडी की प्रति दाखल की गई और उसे प्रमाणित किया गया तथा प्रदर्शक-4 के रूप में चर्चित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की तहरीर उन्हें आरोपी आशक द्वारा पुलिस स्टेशन में सौंपी गई थी।

8. पीडब्लू- 2, नाजिम ने घटना के बारे में जानकारी होने से इनकार किया और घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति से भी इनकार किया।

9. पीडब्लू- 3, शाहिद ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर लगभग 3-4:30 बजे, वह अपने खेत से चारा लेकर लौट रहा था और जब वह आरोपी हनीफ के घर के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि आरोपी श्रीमती हसीना ने श्रीमती बुग्गल को थप्पड़ मारते हुए कहा कि वह गेहूँ के खेत में क्यों गई थी। उस समय हनीफ के घर में अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। अगली सुबह उसे पता चला कि श्रीमती बुग्गल की मृत्यु हो गई है। उसने आगे बताया कि जहीर के पुत्र इसरार का खेत आरोपी हनीफ के खेत से सटा हुआ है। इसरार के श्रीमती बुग्गल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। श्रीमती बुग्गल ववाहित थीं जब कि इसरार अववाहित था।

10. पीडब्लू- 4, श्रीमती हनीफ ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर लगभग 3:00 बजे, उसने देखा कि हनीफ के घर पर कई महिलाएं जमा थीं और श्रीमती बुग्गल भी वहाँ मौजूद थीं। श्रीमती बुग्गल की माँ और मौसी उन्हें गालियाँ दे रही थीं। श्रीमती बुग्गल के पता और उसके चाचा



सूर्यास्त के बाद सहारनपुर से लौटे। इसके बाद, उसे पता चला क श्रीमती बुग्गल का निधन हो गया है।

11. पीडब्लू-5, सलमान ने बताया क लगभग दो साल पहले, उसने इसरार को श्रीमती बुग्गल के साथ खेत में जाते देखा था। इसरार खेत से चला गया और आरोपी श्रीमती हसीना, चाची और दादी उसे वापस घर ले आईं। गुलाब भी उनके साथ था और सभी श्रीमती बुग्गल को पीट रहे थे। अगली सुबह उसे पता चला क श्रीमती बुग्गल की मृत्यु हो गई है। श्रीमती बुग्गल इसरार की मंत्र थीं, ले कन उसे यह जानकारी नहीं थी क घटना वाले दिन इसरार ने श्रीमती बुग्गल का बलात्कार किया था या नहीं।

12. पीडब्लू-6, धौला ने बताया क शाम लगभग 5 बजे अपने खेत से लौटते समय, उसने हनीफ के घर पर 4 या 5 महिलाओं को देखा, उसने इसके अलावा कुछ नहीं देखा। उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया और वह इसरार का चचेरा भाई पाया गया।

13. पीडब्लू-7 ने बताया क उसने हनीफ और श्रीमती बुग्गल को उनके घर में देखा था और दोनों ठीक लग रहे थे।

14. पीडब्लू- 8, बुल्ला ने बताया क घटना वाले दिन वह आरोपी हनीफ के घर के पास आया था, ले कन उसे अपने कमरे से बाहर आते नहीं देखा। उसके घर की महिलाएं रो रही थीं। इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

15. पीडब्लू- 9, राकेश कुमार, एक औपचारिक गवाह था।

16. पीडब्लू-10, अब्दुल रहीम ने बताया क उसने उस घटना के दिन हनीफ के घर पर लोगों को इकट्ठा होकर लड़की की हत्या का कारण बताते हुए देखा था। उसने कसी को भी श्रीमती बुग्गल को पीटते हुए नहीं देखा। उसने श्रीमती बुग्गल को अपने घर पर खड़े देखा। उसने स्वीकार किया क इसरार उसका सगा भतीजा है।

17. पीडब्लू-11, मोहम्मद हसन ने साबित किया क उसने आशक के कहने पर श्रीमती बुग्गल की मृत्यु के संबंध में आवेदन लिखा था।

18. पीडब्लू-12 ने साबित किया क श्रीमती बुग्गल के शव पर निम्न लिखित मृत्युपूर्व चोटें पाईं:-



(i) दाहिनी ओर गर्दन के मध्य भाग पर 1.5 सेमी x 1 सेमी की नीलगू और लगभग 1 सेमी x 0.75 सेमी का खुरसट।

(ii) बाईं ओर गर्दन के ऊपरी भाग पर 1.5 सेमी x 1/2 सेमी की खुरसट जो तिरछा नीचे की ओर निर्देशित है।

(iii) बाएँ हाथ के जोड़ के नीचे से ऊपरी अग्रबाहु के पछले हिस्से तक 1.5 सेमी x 1/4 सेमी की खुरसट।

19. डॉक्टर ने राय दी कि मृत्युपूर्व चोट सं. (i) और (ii) गला घोटने के कारण थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु 17.01.1986 को लगभग 8-9 बजे हुई होगी।

20. पीडब्लू-13, एस.ओ. हरीश चंद्र सक्सेना ने अपने द्वारा की गई ववेचना का रिकॉर्ड पेश किया और साबित किया कि उन्हें पता चला था कि इसरार का मृतक श्रीमती बुग्गल के साथ अवैध संबंध था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें जांच के दौरान पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन वह रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

21. स्वर्गीय डॉ. टीआर जोशी को धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत मुख्य सीडब्लू-1 के रूप में पेश किया गया था, उन्होंने डॉ. पी. संघल के पत्र और उनकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को वचरण न्यायालय के समक्ष साबित किया था।

22. आरोपी ने किसी भी अपराध को करने से इनकार किया। आरोपी हनीफ ने बताया कि वह घटना वाले दिन अदालत गया था। आरोपी आशक ने बताया कि जब वह रात करीब 9 बजे सहारनपुर स्थित अदालत से अपने घर लौटा, तो उसकी मां बूंदी और घर की अन्य महिलाओं ने उसे बताया कि इसरार ने श्रीमती बुग्गल का बलात्कार किया और गला घोटकर उनकी हत्या कर दी, जिससे श्रीमती बुग्गल रोती रह गई। महिलाएं श्रीमती बुग्गल को घर वापस ले आईं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी हसीना ने बताया कि वह श्रीमती बुग्गल को खेत से घर लेकर आई थी। वह चल नहीं पा रही थीं और रो रही थीं। उसने आगे बताया कि इसरार ने शाम करीब 5 बजे उसकी बेटी श्रीमती बुग्गल का बलात्कार किया और गला घोटकर उनकी हत्या कर

दी। उसने और अन्य महिलाओं ने इसरार को श्रीमती बुग्गल को रोता हुआ छोड़कर भागते हुए देखा। जब उसका पति सहारनपुर से लौटा, तो उसने घटना के बारे में बताया।

23. अपील लंबित रहने के दौरान, दोषी अपीलकर्ता सं. 1, हनीफ और दोषी अपीलकर्ता सं. 3, श्रीमती हसीना पत्नी हनीफ की मृत्यु हो चुकी है; केवल अपीलकर्ता सं. 2, आ शक पुत्र गुलाब जी वत है और कार्यालय की दिनांक 07.12.2022 की रिपोर्ट के अनुसार 09.01.1989 से जमानत पर है।

24. अपीलकर्ता के वद्वान अधवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक अपीलकर्ता सं. 1 हनीफ और अपीलकर्ता सं. 3 हसीना की पुत्री थी। अपीलकर्ता सं. 2 आ शक उसका चाचा है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति साबित नहीं की है। साक्ष्यों से यह सामने आया है कि मृतक, अपीलकर्ता सं. 3 हसीना ने अपनी पुत्री श्रीमती बुग्गल को तब थप्पड़ मारा जब वह इसरार के साथ खेत में पाई गई। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता सं. 2 का नाम नहीं लिया है और न ही उसकी कोई भूमिका बताई है। निचली अदालत के समक्ष दो सद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला यह था कि इसरार ने श्रीमती बुग्गल के साथ बलात्कार करने के बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार नहीं किया और यह उचित भी था, क्योंकि यदि श्रीमती बुग्गल का गला खेत में घोंटा गया था, तो वह गांव की महिलाओं के साथ पैदल अपने घर कैसे लौटी, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। घटना के समय, केवल अपीलकर्ता सं. 3, हसीना की ही सक्रिय भूमिका बताई गई थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा सद्धांत किए गए उसके आचरण से यह प्रतीत होता है कि उसने शाम लगभग 5:00 बजे श्रीमती बुग्गल के साथ खेत में इसरार के साथ अपनी बेटी को देखकर क्रोध में आकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी होगी। मुख्य आरोपी, श्रीमती हसीना, अपीलकर्ता सं. 3, और उसका पति, अपीलकर्ता सं. 1, हनीफ पहले ही मर चुके हैं। जी वत अपीलकर्ता सं. 2, आ शक, को इस मामले में केवल इस लिए फंसाया गया प्रतीत होता है क्योंकि वह मृतक का चाचा और मृतक अपीलकर्ता सं. 1 का भाई था।

25. हम पाते हैं कि मृतक श्रीमती बुग्गल, अपीलकर्ता सं. 1, हनीफ और अपीलकर्ता सं. 3, श्रीमती हसीना की बेटी थी। रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि उसका अपने पड़ोसी, अववाहित इसरार के साथ संबंध था और उसे उसके साथ गेहूं के खेत में अकेले पाया गया था। श्रीमती हसीना उसे खेत



से वापस लाई और उसे फटकार लगाई गई। अ भयोजन पक्ष ने श्रीमती बुग्गल के खिलाफ कथित अपराध में अपीलकर्ता सं. 2 की कोई व शष्ट या प्रत्यक्ष भूमिका बताए बिना ही उसे दोषी ठहराया है। उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

26. तदनुसार, अपीलकर्ता सं. 2, आशक, को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश केवल अपीलकर्ता सं. 2, आशक के संबंध में रद्द किया जाता है।

27. अपीलकर्ता सं. 2 जमानत पर है। उसके बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और जमानतदारों को उन्मोचन किया जाता है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

28. अपील स्वीकार की जाती है।

29. इस मामले का रिकॉर्ड इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली अदालत को लौटा दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मश्रा-I) (न्यायमूर्ति सद्धार्थ)

8 जनवरी, 2026

अ भषेक